न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 99/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/01

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिए अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बाड़मेर		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2. इन्द्रा पुत्री जोगाराम जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा 3.चनणाराम पुत्र जोगाराम जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा 4.जालाराम पुत्र जोगाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा 5.जीवाराम पुत्र लेखाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा 6.धनकी पुत्री जोगाराम जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा 7.नरेन्द्र पुत्र जोगाराम नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम 8.पदमाराम पुत्र लेखाराम 9.पुष्पा पुत्री जोगाराम नाबालिग जरिए जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल 10.पांची पुत्री जोगाराम नाबालिग जरिए जरिए संरक्षक सरपरस्त माता बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

11.बदकीदेवी पत्नि जोगाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
12.मंगलाराम पुत्र लेखाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
13.रूपाराम पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
14.गलाराम पुत्र मोड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा
15.मुकेशकुमार पुत्र समर्थाराम
16.रम्भादेवी पत्नि समर्थाराम
17.रामेश्वरलाल पुत्र समर्थाराम
18.विक्रम कुमार पुत्र समर्थाराम जाति कुम्हार निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 से 12
3. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 14 व 17
4. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।
5. विप्रार्थी संख्या 5 व 13 से 16 एवं 18 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 21/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम आसोतरा व ब्रहाधाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 हेतु अधिसूचना जारी कर 757 में से भूमि अवाप्ति की गई थी। अवाप्ति की कार्यवाही के बाद उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अमल दरामद किया गया,जिसके नये खसरा संख्या 4001/757 क्षेत्रफल 0.5691 हैक्टयर है। प्रार्थी को भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के बाद विभिन्न खातेदारो द्वारा आपतिया दर्ज करवाई गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि खसरा संख्या 4001/757, के पड़ैसी खसरा संख्या 757,3418/749,4004/749 की नक्शो की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर रखी है। इस कारण रेकर्ड में मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त की जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर गलत तरमीम को अपास्त कर तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील–शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 से 12 की तरफ से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 14 व 17 की ओर से वकालतनामा पेश किया। उक्त विप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो शामिल मिसल की गई। शेष विप्रार्थी संख्या 5 व 13 से 18 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम आसोतरा व ब्रहाधाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 हेतु अधिसूचना जारी कर 757 में से भूमि अवाप्ति की गई थी। अवाप्ति की कार्यवाही के बाद उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अमल दरामद किया गया,जिसके नये खसरा संख्या 4001/757 क्षेत्रफल 0.5691 हैक्टयर है। प्रार्थी को भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के बाद विभिन्न खातेदारो द्वारा आपतिया दर्ज करवाई गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 4001/757, के पड़ैसी खसरा संख्या 757,3418/749,4004/749 की नक्शो की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर रखी है। इस कारण रेकर्ड में मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त की जानी आवश्यक है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में विवादित आराजी की विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होना स्वीकार किया है तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की सिफारिश की गई है,जो प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मुताबिक तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है। अतं में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.इसके विपरीत विप्रार्थी संखय 2 से 4 व 6 से 12 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 757 क्षेत्रफल 3.5410 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर उक्त विप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में से प्रार्थी द्वारा पूर्व में गलत तरीके से भूमि अवाप्ति किए जाने पर खसरा संख्या 4001/757 कायम हुआ। उक्त अवाप्ति के विरूद्व विप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भूमि अवाप्ति की आपति दर्ज करवाए गए,जिसका आदिनांक तक निस्तारण नही किया गया और न ही अवाप्ति भूमि का विप्रार्थी को मुआवजा दिया गया है। प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 14 से 18 से मिली भगत करते हुए विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 से 12 को परेशान करने की नियत से विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 749 को बचाने की नियत से विप्रार्थी की भूमि के टुकड़ो में विभाजन कर पूण रूप से रोड़ अन्दर निकालने की नियत से आवेदन पेश किया गया है,जो कि चलने योग्य नही होने से अपास्त किया जावे। प्रकरण मे विप्रार्थी संख्या 05 जो 40 वर्ष पूर्व गुमशुदा है,जिसका कही पता नही होने से बिना तामीली के प्रकरण मे किसी प्रकार की सुनवाई नही हो सकती है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपनी रोड़ का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाकर भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी के अधिकार समाप्त किए जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ही उक्त गजट नोटिफिकेशन में दर्शित खसरान व रकबा में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है,श्री न्यायालय को गजट नोटिफिकेशन में दर्शित खसरान व रकबा का परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से आवेदन खारिज किया जावे।

6.विप्रार्थी संख्या 14 व 17 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो आपति नही है। लेकिन हमारी भूमि जो राज्य सरकार के खाते मे दर्ज की गई है,वो पुनः विप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज की जावे।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 4001/757 प्रार्थी की खातेदारी मे अवस्थित है। खसरा संख्या 757 विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 से 12 की खातेदारी,खसरा संख्या 3418/749 विप्रार्थी संख्या 14 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 4004/749 विप्रार्थी संख्या 15 से 18 की संयुक्त खातेदारी भूमि मे अवस्थित है। विवादित आराजी के विदयमान तरमीम नक्शा एवं मौका जांच

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। जिसे विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम मौका कब्जा–काश्त के विपरीत हो रखी हैं,उक्त अशुद्ध तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा हो रहा है,तरमीम दुरूस्त किए जाने पर मौका एवं रेकर्ड की स्थिति मे एकरूपता आयेगी। भूमिधारक द्वारा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती किए जाने की अनुशंसा की गई हैं,जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से साबित होता है। विप्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे प्रतीत होता हो कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार क्यो नही किया जावे। विप्रार्थी पक्ष द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किए गए,मौखिक कथनो के आधार पर सफलता नही मिलती है। जबकि प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपना आवेदन स्वीकार का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 757,3418/749,4004/749 व 4001/757 की विद्यमान तरमीम अपास्त कर तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक 1315/21.5.2025 के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

(अशोक कुमार) 21/07/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

21/07/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा